न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिह, आर.ए.एस.

अपील संख्या 201/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2015/ 00007)

1. जफरूल्ला पुत्री वली मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार साकिन वार्ड नं. 26 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मकबूल पुत्री वली मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार साकिन वार्ड नं. 27 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. शकूर पुत्री वली मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार साकिन वार्ड नं. 26 नोहर जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. नजीरदीन पुत्र मेहरदीन जाति मुसलमान साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (मृतक)

1/1 शमशेर (मृतक) पिसरान् नजीरदीन जाति मुसलमान

1/1/1 शकुरा बैवा शमशेर
1/1/2 साजिद पुत्र शमशेर
1/1/3 रूकसाना पुत्री शमशेर
1/1/4 मैमून पुत्री शमशेर
1/1/5 नसरीना पुत्री शमशेर
1/1/6 आमना पुत्री शमशेर

पिसरान शमशेर पुत्र नजीरदीन जाति मुसलमान साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

1/2 मौसम
1/3 हासन
1/4 हलीमा पत्नी सफीक
1/5 जावेद पुत्र रफीक
1/6 नदीम पुत्र रफीक
1/7 नसीम पुत्री रफीक
1/8 मजीदा
1/9 रशीदा

पत्नी रफीक एवं पिसरान रफीक पुत्र नजीरदीन जाति मुसलमान साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

2. हकीमुदीन पुत्र मामदीन जाति मुसलमान साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमागनढ मृतक

2/1 हाजरा मृतक (नाम हटाया)
2/2 मोहम्मद हारून
2/3 मोहम्मद अली
2/4 मोहम्मद हुसैन
2/5 महबूब अली
2/6 सकीना
2/7 कुरशीद
2/8 जल्ले खां
2/9 बिस्मिल्ला

बैवा एवं पिसरान् हकीमुदीन पुत्र मामदीन जाति मुसलमान साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

3. जरीना पत्नी हारून जाति मुसलमान कुम्हार साकिन गांधी बडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
4. बशीरा पत्नी जकूबखॉन जाति मुसलमान साकिन फैफाणा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

5. रूकसाना पत्नी अब्दुल रहमान जाति मुसलमान कुम्हार साकिन फैफाणा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. हुसना पत्नी यासीन खां जाति मुसलमान कुम्हार साकिन गन्धेली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. तहसीलदार राजस्व नोहर ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः

1. श्री विजय कुमार भादाणी	– अभिभाषक अपीलान्ट
2. बालकिशन शर्मा	–अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1/1 ता 1/1/6, 1/2 ता 1/9, 2/1 ता 2/9
3. श्री विजय कुमार पारीक	–अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 6

निर्णय **दिनांकः 26.09.2025**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नोहर (हनुमानगढ) के प्रकरण अपील संख्या 54/15 निर्णय दिनांक 01.12.2015 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नजीरदीन ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नोहर में तहसील नोहर के चक 1 एन.एच. आर. (ए) नामान्तरण संख्या 530 दिनांक 31.08.2015 विरूद्व अपील प्रस्तुत कर उक्त इन्तकाल को निरस्त करने का निवेदन किया। जिस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नोहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 01.12.2015 द्वारा अपील स्वीकार कर नामान्तरण संख्या 530 दिनांक 31.08.2015 खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्व अपीलान्ट जफरूल्ला वगैरह द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.12.2015 को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट सं 3 ता 5 के निमित नोटिस जारी किये जाने के बावजूद उपस्थित नही हुवे। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1 हाजरा का देहान्त होने पर उसका नाम अपील से आदेश दिनांक 23.12.2024 को हटाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि नामान्तरकरण संख्या 530 दिनांक 31.08.2015 फौतगी/विरासतन नामान्तरकरण है जो अधीनस्थ संक्षम राजस्व कर्मचारियो द्वारा विधिवत जांच कर मृत मूल खातेदार के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित आराजी का उसकी जाईन्दा दोनो पुत्रियो के नाम तस्दीक किया गया है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 9 के समक्ष सिविल न्यायालय नोहर में एक नियमित सिविल वाद पत्र संख्या 107/2012 अनवान हकीमुदीन बनाम जफरूला विवादित आराजी में अपने अधिकारो की उदधोषणा हेतु पक्षकारान् के विरूद्व प्रशनगत अपील में अंकित समान आधारो यथा विवादित आराजी का स्वय के पक्ष में हिबा व कब्जा होना आदि का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया था, जो बाद सिविल न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय व डिक्री दिनांक 22.08.2015 से निरस्त किया जा चुका है। उक्त वाद निरस्त फरमायें जाने के बाद उक्त आराजी पर कोई स्थगन आदेश नही था। अपीलान्ट द्वारा सिविल न्यायालय के निर्णय 22.08.2015 के विरूद्व एक नियमित प्रथम अपील संख्या 295/2015 हकीमुदीन बनाम जफरूला माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है जिसे एडमीट कर विवादित आराजी के राजस्व व मौके की यथास्थिति का आदेश दिनांक 01.09.2015 से स्थगन आदेश दिया जा चुका है। जब तक राजस्व अभिलेख की यथास्थिति रखते हुए प्रश्नगत नामान्तरकरण की अपील की कार्यवाही स्थगित रखा जाना न्यायोचित है। प्रथम अपील बिना परमीशन लिये पेश की गई थी इस कारण अन कम्पीटेन्ट थी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर का आदेश गलत था क्योकि माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति का पूर्व से जारी था जो दिनांक 02.09.2015 को पेश किया जा चुका था, जिसकी अनदेखी कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। साथ ही उक्त इन्तकाल प्रकरण विवादित था, यह बात अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर के निर्णय में भी आया हुआ है। विवादित इन्तकाल प्रकरण की अपील को सुनने का क्षेत्राधिकार अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर को नही था, उसकी अपील धारा 135 (2) मे संभागीय आयुक्त को सुनने

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

का क्षेत्राधिकार है। इसी आधार पर अपील खारिज योग्य है। रेस्पोडेन्ट द्वारा कभी वसीयत होना कथन करते है कभी हिबा होने का कहते है कभी मौखिक कथन करते है। सिविल कोर्ट का दावा भी हिबा ना मानते हुए खारिज किया गया है। तहसील नोहर में नायब तहसीलदार का पद काफी समय से रिक्त था जिस पर जिला कलक्टर हनुमानढ द्वारा दिनांक 30.04.2015 को नायब तहसीलदार के स्थान पर उप तहसील खुईया को दिया गया था। बाद में जिला कलक्टर हनुमानगढ ने अन्य आदेश दिनांक 13.08.2015 में पूर्व आदेश मे संशोधन करते हुए नायब तहसीलदार नोहर का अतिरिक्त कार्यभार आफिस कानूनगो तहसील नोहर का प्रदान कर दिया था, इस कारण नामान्तरकरण वैध रूप से दर्ज हुए थे। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बिना कानून व कानूनी प्रक्रिया का अवलोकन किये बिना ही पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 01.12.2015 को निरस्त फरमाया जावे एवं विरास्त इन्तकाल संख्या 530 दिनांक 31.08.2015 यथावत व बहाल फरमाया जावे। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 2003 पृष्ठ 276, RRD 2002 पृष्ठ 671, RRD 2004 पृष्ठ 101, RRD 1993 पृष्ठ 28, RRD 1989 पृष्ठ 266, RRD 2008 पृष्ठ 383, RRD 2010 पृष्ठ 392, RRD 1993, पृष्ठ 44, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक श्री बालकिशन शर्मा ने बहस के दौरान कथन किया कि यह भूमि हबीबखां के नाम से दर्ज थी, हबीब खां के दो पुत्रियो ही थी। हबीबखां के दो भाई थे जिसमें मेहरदीन का पहले ही फौत हो गया उसका लड़का नजीरदीन हबीब खां के साथ ही रहता था व हकीमुदीन जो संगा भाई था वही साथ ही रहता था। हबीबखां ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी भूमि का मौखिक हिबा मय गवाहान व अपनी पुत्रियो के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम से कर दिया जो कि हुसना के शपथ पत्र मे अंकित है। वर्ष 1992 से हवीव की मृत्यु के उपरान्त पक्षकारो के मध्य भूमि को

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

लेकर विभिन्न न्यायालयो मे मुकदमे चल रहे है तथा स्थगन आदेश भी लगता जारी रहे है, लेकिन दिनांक 22.08.2015 को सिविल कोर्ट से दावा खारिज किया गया जिसकी अपील हाई कोर्ट में करने पर दिनांक 01.09.2015 को स्थगन जारी हो गया लेकिन अपीलान्ट ने बिना कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाये एक तरफा तौर पर आफिस कानूनगो से जिस के पास भू राजस्व अधिनियम के तहत इन्तकाल तस्दीक करने के अधिकार नही थे फिर भी दिनांक 31.08.2015 को इन्तकाल तस्दीक करवा लिये। इन्तकाल तस्दीक से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को सुना भी नही। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त आदेश की अपील करने पर न्यायालय ने क्षेत्राधिकार विहीन आदेश मानते हुए अपील स्वीकार उक्त इन्तकाल को खारिज किया गया जो सही है। हुसना ने अपने शपथ पत्र में हिबा होना व मौका पर कब्जा होना सिविल कोर्ट में माना है। अब वह इस बात से इन्तकार नही कर सकती है, कानूनन एष्टोपड है। हाई कोर्ट ने भी मौखिक हिब्बा होना माना है व हुसना के शपथ पत्र को माना है। उक्त प्रकरण में धारा 96 सी पी सी के प्रावधान लागू नही होते है, क्योकि दोनो पक्षकार मानते है कि दोनो के मध्य मुकद्में चल रहे है इसलिए प्रभावित व हितबद्व पक्षकार है। धारा 135 (2) का मामला नही बनता है क्योकि इन्तकाल तस्दीक से पूर्व रेस्पोडेन्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया, एक तरफा आदेश पारित किया गया है जो कि धारा 135 (1) में ही कंवर होता है। इसलिए अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में चस्पा नही होते है। इन्तकाल आदेश आफिस कानूनगो द्वारा दिया गया जो कि एल आर ऑफिसर नही है। अतः अपीलान्ट की अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में Rajasthan High Court Citation 2013 (1) DNJ (404) का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/विश्लेषण किया। प्रस्तुत अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 01.12.2015 के विरूद्व प्रस्तुत की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

गई है जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 530 दिनांक 31.08.2015 को निरस्त किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि पक्षकारो के मध्य उक्त विवादित भूमि से संबधित वाद न्यायालय मे विचाराधीन था, नामान्तरकरण संख्या 530 दिनांक 31.08.2015 वाद के विचाराधीन रहते तस्दीक किया गया है। पक्षकारो के मध्य वाद विचाराधीन होने के कारण प्रकरण विवादित था, विवादित इन्तकाल प्रकरण की अपील को सुनने का क्षेत्राधिकार अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर को नही था। उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के मध्यनजर अपील अपीलान्ट स्वीकर कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2015 को निरस्त किया जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 26.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसवन्त सिंह)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर